

12.3.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत महवा में पेश हुई। वारी द्वारा प्रापत्र काबल विद्वान किये जाने प्रापत्र कस्वाई निषेधाज्ञा पेश किया गया कि पक्षकारान में आपली सप्रभाइश ले राजीनामा हो गया है तथा वे अपना सुकदमा आगे चलाना नहीं चाहते हैं। प्रापत्र विद्वान किये जाने हेतु निवेदन किया है। उक्त

अतः प्राची का प्रापत्र काबल विद्वान किये जाने प्रापत्र कस्वाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। पत्रावली में कथवाठी इसी स्तर पर बन्द (Close) की जाती है। पत्रावली फेशल सुमार होकर नउवर ले कम हो।

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
महवा (दौसा)

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
महवा (दौसा)